छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एमसीआरसीए संख्या 431 वर्ष 2021

• रितेश कुमार सिंह, पुत्र देवेन्द्र प्रसाद सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी सियाराम नगर, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, ब्लाइंड स्कूल के पीछे, कोतवाली भागलपुर (बिहार)।

--------- **आवेदक**

बनाम

• छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।

----------**अनावेदक**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से: सुश्री गुंजन तिवारी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से: श्री आनंद वर्मा, उप महाधिवक्ता।
आपत्तिकर्ता की ओर से: श्री वी.के. अग्रवाल, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया

आदेश दिनांक: **11/06/2021**

1. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
2. आवेदक ने धारा 438 , दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है,, क्योंकि उसे पुलिस थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 384 के तहत पंजीकृत अपराध क्रमांक 217/2021 के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि लगभग 38 वर्षीय अभियोक्ता ने 15 फरवरी 2021 को एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने 14 अगस्त 2012 से 14 दिसंबर 2020 तक लगातार उसके साथ यौन संबंध बनाए और दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। जब अभियोक्ता ने आवेदक से शादी करने का प्रस्ताव दिया, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और उसे छोड़ दिया। इस अवधि में आवेदक ने अभियोक्ता के कुछ गहने भी बेच दिए, जिसके बाद अभियोक्ता ने आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी आयु लगभग 38 वर्ष है और 2012 से वह अपनी सहमति से आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। अभियोक्ता द्वारा 2012 से 2020 तक आवेदक के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि पूरे मामले को वैसा ही लिया जाए जैसा वह प्रस्तुत है, तो यह प्रतीत होता है कि अभियोक्ता सहमति देने वाली पक्ष थी। चूंकि अभियोक्ता एक वयस्क महिला है और सहमति देने वाली पक्ष है, इसलिए प्रथम दृष्टया, आवेदक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और आरोप पत्र भी अभी तक दायर नहीं किया गया है। आवेदक अग्रिम जमानत देते समय इस न्यायालय द्वारा लगाए गए सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **महेश्वर टिग्गा बनाम झारखंड राज्य** (2020) 10 SCC 108 और **भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य** (2016) 1 SCC 152 पर भरोसा किया गया है।

5. राज्य की ओर से और आपत्तिकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता **ने** जमानत आवेदन का विरोध किया हैं।
6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।

7. यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालयों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाना होता है। यद्यपि अग्रिम जमानत पर रिहाई को एक असाधारण शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यह इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहराता कि इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए यह शक्ति विवेकाधीन है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आलोक में प्रयोग की जानी चाहिए। [**सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 SCC 694**]। कोई "अटल नियम" नहीं है कि जब तक आवेदक दुर्भावना से प्रभावित न हो, तब तक अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार करते समय आवेदक को निर्दोष माना जाता है (सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2020 5 एससीसी 1)। जैसा कि भद्रेश (उपर्युक्त) के मामले में देखा गया है, अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों में निम्नलिखित कारकों और मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- (a) आरोप की प्रकृति और गंभीरता और गिरफ्तारी से पहले आरोपी की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझना;
- (b) आवेदक का आपराधिक इतिहास, विशेष रूप से यदि उसने किसी संज्ञेय अपराध में दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा काटी हो;
- (c) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;
- (d) अभियुक्त द्वारा इसी प्रकार के या अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना;
- (e) आरोप यदि केवल आवेदक को गिरफ्तार कर उसे अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;
- (f) अग्रिम जमानत के प्रभाव का विश्लेषण, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले मामलों में;
- (g) न्यायालयों को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को आरोपी

की मामले में सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया गया है, न्यायालय को और भी अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि मामलों में अत्यधिक फंसाना एक आम ज्ञान और चिंता का विषय है;

- (h) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए, अर्थात् स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और आरोपी के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत को रोका जाना चाहिए;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- (i) न्यायालय को गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका पर विचार करना चाहिए;

- (j) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए, और केवल सत्यता का तत्व ही जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और यदि अभियोजन की सत्यता पर कुछ संदेह हो, तो सामान्य परिस्थितियों में आरोपी को जमानत का आदेश देने का हकदार है।

8. इस प्रकार, अग्रिम जमानत पर विचार करने के उपर्युक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जिस तरीके से अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, एफआईआर दर्ज करने में 8-9 वर्ष की अत्यधिक देरी, अभियुक्ता, आयु लगभग 38 वर्ष, और आवेदक, आयु लगभग 44 वर्ष, विवाहित व्यक्ति हैं, अभियुक्ता के दो बच्चे हैं, वे पिछले 8-9 वर्षों से संबंध में थे, इस दौरान वे कई स्थानों पर एक साथ गए, पति-पत्नी की तरह रह रहे थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, इस अवधि के दौरान किसी को कोई शिकायत या रिपोर्ट नहीं की गई, आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, हालांकि मामले की जांच चल रही है, लेकिन राज्य

के अधिवक्ता ने उसके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका नहीं दिखाई है, आवेदक की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय इस राय में है कि वर्तमान मामला आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त अपराध के संबंध में आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे गिरफ्तारी अधिकारी द्वारा 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बांड और 25,000/- रुपये के दो जमानतदारों की प्रस्तुति पर, गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। आवेदक को निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) वह आवश्यकतानुसार पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
(ii) वह किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य छुपाए।
(iii) वह किसी भी तरह से निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचाएगा।
(iv) वह मुकदमे के निपटारे तक इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा।
(v) वह कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेगा।
(vi) वह भविष्य में इसी तरह के किसी अपराध में शामिल नहीं होगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन को तुरंत भेजी जाए, जो आवेदक द्वारा भविष्य में इसी प्रकार के अपराध में शामिल होने पर विचारण न्यायालय को सूचित करेगा।

एसडी/-
गौतम चौरड़िया,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur